<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-एम.एच.-अ.-10052024-254150 CG-MH-E-10052024-254150

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 329] No. 329] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 10, 2024/वैशाख 20, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, MAY 10, 2024/VAISAKHA 20, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 10 मई, 2024

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/175.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (2) के (खक) तथा खंड (ग) और धारा 12 की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (1ख) के साथ पिठत धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा यह निर्धारित करता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 के विनियम 3 के उप-विनियम (III) में किए गए संशोधन राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./098/2024-25]

2988 GI/2024 (1)

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 10th May, 2024

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/175.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 read with sub-section (1) of Section 11, clause (ba) and clause (c) of sub-section (2) of Section 11 and sub-section (1) and (1B) of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby appoints that the amendments in sub-regulation (III) of regulation 3 of the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2023 shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

BABITHA RAYUDU, Executive Director [ADVT.-III/4/Exty./098/2024-25]